हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म ... में जारी हुए
13/7/2024 आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली संबंधित पक्षकारान के द्वारा लिखित राजीनामा पेश किये जाने पर तलब होकर पेश हुई। वादीगण पहचान उनके वकील श्री भगवान सहाय यादव एडवोकेट द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके वकील श्री विष्णु यादव द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा यह डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर भवन से कम हो। बाद तकमील दाखिल [illegible] भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 13-7-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। तहसीलदार मुण्डावर (अलवर)	मुलजारी जमानती श्रीमती अचरजी I.D.

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मदनसिंह

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
196 / 2023	31.08..2023	13.07.2024

// उनवान //

1. गिरार्ज प्रसाद पुत्र श्री हरिसिंह उम्र– करीब 50 साल जाति चमार निवासी तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

——————वादी

// बनाम //

1. मांगेराम पुत्र श्री हरिसिंह उम्र करीब 65 साल जाति चमार निवासी तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा राज0 – मृतक

1/1. अभयसिंह पुत्र मांगेराम

1/2 गुलझारी पुत्र मांगेराम

1/3 असरपी पत्नी मांगेराम समस्त जाति मेघवाल निवासियान तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल –तिजारा

1/4 जगवती पुत्री मांगेराम पत्नी मुन्शीराम जाति मेघवाल निवासी तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल –तिजारा

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा राजस्थान ।

—————— प्रतिवादीगण

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा – इस्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा
88,89 आर0टी0 एक्ट0

उपस्थित :– श्री जगन्नाथ यादव वकील वादी
श्री विष्णु यादव वकील प्रतिवादी

// निर्णय //

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के समक्ष रखा गया जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार से है कि –यह है कि आराजी खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 हैक्., 644/879 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल राज0 मे स्थित है जो आराजी वाद पत्र मे विवादित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 756/327/2 रकबा 0.31 है0 हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है0 , 644/879 रकबा 0.01 है0 पैमूद हुये है। विवादित आराजी मिन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 26.05.1999 को सभांग मे खरीद की थी। जिसका इंतकाल नम्बर 532 मिन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज व मंजूर हो चुका है जिसक अमल जमाबन्दी संवत 2055 से 2058 मे हो रहा है। परन्तु जमाबन्दी सं. 2059 से 2062 बनाते समय मिन वादी का नाम हटाकर केवल प्रतिवादी सं 1 का नाम अंकन कर दिया जो अंकन तब से लगातार आज तक चला आ रहा है। जो अंकन मिन वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। दुरुस्त कराये जाने योग्य है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा था जिसका 1/2 भाग मिन वादी एवं प्रतिवादी द्वारा खरीद किया गया था तथा शेष 1/2 भाग रामरतन पुत्र भवानी द्वारा खरीद शुदा था जिसका तकासमा होकर 756/327/1 रामरतन के हिस्से मे व 756/327/2 मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 के कब्जे काश्त व बंटवारे मे है। अतः डिक्री इस्तकरारहक इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 644 रकबा 0.30 है0 व 644/879 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर मे वादी को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर कागजात माल मे 1/2, 1/2 भाग का अंकन कराये जाने के आदेश फरमाये जावें।

लोक अदालत दिनांक 13.07.2024 मे पक्षकारान उपस्थित आये समझाया गया जिसमे दोनो पक्षकारा ने अपनी अपनी सहमति स्वरुप लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री जगन्नाथ यादव एवं प्रतिवादीगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री विष्णु यादव द्वारा की गई। राजीनामा लोक अदालत मे पढकर सुनाया गया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 भूमि विकय पत्र दिनांक 26.05.99 की प्रति, इंतकाल स्वीकृति वर्ष 1999, की प्रमाणित छायाप्रति, जमाबन्दी संवत 2055–59, जमाबन्दी संवत 2059–62, जमाबन्दी संवत 2063–66, जमाबन्दी संवत 2067–70 पेश की गई।

उभयपक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है, 644/879 रकबा 0.01 है0 के 1/2 भाग से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी के नाम का अंकन किया जाना न्यायोचित है।

– आदेश –

अतः वाद वादी उभयपक्षकारान की सहमति से डिकी किया जाता है। अतः वादी का वाद उभयपक्षकारो की सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिकी किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 644 रकबा 0.30 है, 644/879 रकबा 0.01 है0 के 1/2 भाग से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादी के नाम का अंकन किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 13.07.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(मदनसिंह)
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प मुण्डावर

तहसीलदार
मुण्डावर (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner